नाबार्ड

संदर्भ सं. राबैं.डॉर-नीति(एसटी)/ 53746 - 53776/ एमओएन-15/2024-25
परिपत्र सं. 193/ डॉर-37 /2024
23 सितंबर 2024

अध्यक्ष
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सभी प्रायोजक बैंक

महोदय,

नाबार्ड द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मौसमी कृषि परिचालन (एसएओ) के वित्तपोषण हेतु अल्पावधि (एसटी) पुनर्वित्त के प्रावधान - वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए परिचालन दिशानिर्देश

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अल्पावधि (एसएओ) परिचालन दिशानिर्देश को अंतिम रूप दे दिया गया है और उसका विवरण अनुबंध I में उल्लिखित किया गया है.

2. जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्वयं की भागीदारी के साथ मिलकर प्रति उधारकर्ता को 7% प्रति वर्ष या उससे कम पर 3.00 लाख रुपए तक का फसल ऋण प्रदान करते हैं, उनके लिए वर्ष 2024-25 के दौरान पुनर्वित्त पर ब्याज दर 4.5% प्रति वर्ष होगा. इस संबंध में बैंक द्वारा अनुबंध-II के अनुसार वचन-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा.

3. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आपके बैंक के लिए पुनर्वित्त आबंटन की सूचना हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दी जाएगी. आप प्रथम आहरण सहित ऋण सीमा की मंजूरी हेतु नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को निर्धारित प्रारूप के अनुसार एक आवेदन जमा कर सकते हैं.

4. कृपया इस परिपत्र की पावती हमारे क्षेत्रीय कार्यालय को दें.

भवदीय

के एस महेश

(डॉ के एस महेश)
मुख्य महाप्रबंधक
संलग्नक : यथोक्त

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development
पुनर्वित विभाग
प्लॉट नं. सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. • टेलि.: +91 22 2652 4926 • फैक्स : +91 22 2653 0090 • ई-मेल : dor@nabard.org
Department of Refinance
Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051. • Tel.: +91 22 2652 4926 • Fax : +91 22 2653 0090 • E-mail : dor@nabard.org

MAIN DOCUMENT

दस्तावेज़ का शीर्षक	नाबार्ड द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मौसमी कृषि परिचालन (एसएओ) के वित्तपोषण हेतु अल्पावधि (एसटी) पुनर्वित्त के प्रावधान - वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए परिचालन दिशानिर्देश
ड्राफ्ट तैयार करने वाला विभाग	पुनर्वित्त विभाग
दिनांक	23 सितंबर 2024
दस्तावेज़ का वर्गीकरण (आंतरिक/ बाह्य)	बाह्य
दस्तावेज़ सं./ संस्करण सं.	संस्करण 5.0 (2024-25)

संस्करण का इतिहास

संस्करण सं.	वित्तीय वर्ष	संशोधन/ टिप्पणियाँ	संशोधनकर्ता
1.0	2020-21	नाबार्ड द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मौसमी कृषि परिचालन (एसएओ) के वित्तपोषण हेतु अल्पावधि (एसटी) पुनर्वित्त के प्रावधान - वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए परिचालन दिशानिर्देश	पुनर्वित्त विभाग
2.0	2021-22	नाबार्ड द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मौसमी कृषि परिचालन (एसएओ) के वित्तपोषण हेतु अल्पावधि (एसटी) पुनर्वित्त के प्रावधान - वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए परिचालन दिशानिर्देश	पुनर्वित्त विभाग
3.0	2022-23	नाबार्ड द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मौसमी कृषि परिचालन (एसएओ) के वित्तपोषण हेतु अल्पावधि (एसटी) पुनर्वित्त के प्रावधान - वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए परिचालन दिशानिर्देश	पुनर्वित्त विभाग
4.0	2023-24	नाबार्ड द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मौसमी कृषि परिचालन (एसएओ) के वित्तपोषण हेतु अल्पावधि (एसटी) पुनर्वित्त के प्रावधान - वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए परिचालन दिशानिर्देश	पुनर्वित्त विभाग
5.0	2024-25	नाबार्ड द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मौसमी कृषि परिचालन (एसएओ) के वित्तपोषण हेतु अल्पावधि	पुनर्वित्त विभाग

		(एसटी) पुनर्वित्त के प्रावधान - वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए परिचालन दिशानिर्देश	

संस्करण का अनुमोदन

संस्करण सं.	अनुमोदन की तिथि	संशोधन/ टिप्पणियाँ	अनुमोदनकर्ता
1.0	11.08.2020	नाबार्ड द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मौसमी कृषि परिचालन (एसएओ) के वित्तपोषण हेतु अल्पावधि (एसटी) पुनर्वित्त के प्रावधान - वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए परिचालन दिशानिर्देश	मुख्य महाप्रबंधक
2.0	02.09.2021	नाबार्ड द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मौसमी कृषि परिचालन (एसएओ) के वित्तपोषण हेतु अल्पावधि (एसटी) पुनर्वित्त के प्रावधान - वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए परिचालन दिशानिर्देश	अध्यक्ष
3.0	19.08.2022	नाबार्ड द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मौसमी कृषि परिचालन (एसएओ) के वित्तपोषण हेतु अल्पावधि (एसटी) पुनर्वित्त के प्रावधान - वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए परिचालन दिशानिर्देश	अध्यक्ष
4.0	10.11.2023	नाबार्ड द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मौसमी कृषि परिचालन (एसएओ) के वित्तपोषण हेतु अल्पावधि (एसटी) पुनर्वित्त के प्रावधान - वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए परिचालन दिशानिर्देश	अध्यक्ष
5.0	20.09.2024	नाबार्ड द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मौसमी कृषि परिचालन (एसएओ) के वित्तपोषण हेतु अल्पावधि (एसटी) पुनर्वित्त के प्रावधान - वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए परिचालन दिशानिर्देश	अध्यक्ष

संदर्भ

क्रम. सं.	संदर्भ	संदर्भ सं.

1	ऋण (पुनर्वित्त/ प्रत्यक्ष वित्त) नीति	आंतरिक परिपत्र सं./ बी-185/ आरएमडी-79/ 2024 (दिनांक 06 अगस्त 2024 का संदर्भ सं. राबैं.आरएमडी/ 154/ आरएमडी-21/ 2024)

अनुबंध-I

नाबार्ड द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मौसमी कृषि परिचालन के वित्तपोषण हेतु अल्पावधि पुनर्वित्त के प्रावधान - वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए परिचालन दिशानिर्देश

1. दीर्घावधि (एसएओ) सीमा की परिचालन अवधि

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दीर्घावधि (एसटी) (एसएओ) सीमा के लिए परिचालन अवधि **01.04.2024 से 31.03.2025 है**. केवल परिचालन अवधि के दौरान संवितरित फसल ऋणों के संबंध में बैंक को एसटी (एसएओ) पुनर्वित्त प्रदान किया जाएगा.

2. समेकित सीमा की मंजूरी

क. बैंक द्वारा निष्पादित माँग वचन-पत्र के विरुद्ध नाबार्ड अधिनियम, 1981 की **धारा 21(4)** के साथ पठित **धारा 21(1)(i)** के तहत बैंकों को सीमा मंजूर की जाएगी.

ख. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को प्रत्येक आहरण के समय यह लिखित रूप में घोषित करना होगा कि प्राथमिकता प्राप्त आहरण और पहले से प्राप्त किया गया पुनर्वित्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा प्रदान किए गए ऋणों के लिए है और उन्हें पर्याप्त अनतिदेय ऋणों द्वारा कवर किया गया है. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा नाबार्ड को नियमित रूप से एनओडीसी विवरण जमा किया जाना होगा.

3. पात्रता मानदंड

3.1 लेखापरीक्षा

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की लेखापरीक्षा पूरी हुई होनी चाहिए और वित्तीय विवरणों सहित संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्टें नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्राप्त हुए होने चाहिए. इसके अलावा वर्ष 2023-24 के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की लेखापरीक्षा पूरी हुई होनी चाहिए और दिनांक 30.06.2024 तक रिपोर्ट जमा की गई होनी चाहिए. दिनांक 01.07.2024 को, या उसके पश्चात् की गई मंजूरी और आहरण की अनुमति केवल उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दी जाएगी जिन्होंने लेखापरीक्षा पूरी कर ली हो और नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रासंगिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट जमा की हो. यह निर्णय पात्रता मानदंड से संबंधित संतोषजनक स्थिति के अधीन होगा.

3.2 नाबार्ड द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की आंतरिक जोखिम रेटिंग

3.2.1 अधिक ऋण वितरण, विशेषतः जरूरतमंद कृषि क्षेत्र में, सुनिश्चित करने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए सीआरएआर, निवल एनपीए और निवल लाभ के मापदंड में छूट दी जाए और उन सभी

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दीर्घावधि पुनर्वित्त प्रदान किया जाए जिनकी आंतरिक जोखिम रेटिंग श्रेणी एनबीडी1 से एनबीडी7 के बीच में हो.

3.2.2 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जोखिम रेटिंग नाबार्ड द्वारा आंतरिक दिशानिर्देशों के आधार पर की जाएगी.

3.2.3 जोखिम रेटिंग का आकलन सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इंगित वित्तीय स्थिति के आधार पर किया जाएगा. तथापि लेखापरीक्षा रिपोर्ट और नाबार्ड की निरीक्षण रिपोर्ट में किसी विसंगति कि स्थिति में नाबार्ड की निरीक्षण रिपोर्ट को जोखिम रेटिंग हेतु माना जाएगा. यदि बैंक अपने नियंत्रण से परे कारणों से पात्रता मानदंड को पूरा करने में असक्षम है, तो नाबार्ड द्वारा पर्याप्त प्रतिभूति सहित निचले पात्रता मानदंड पर विचार किया जा सकता है.

3.3 01 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024 के दौरान पात्रता मानदंड 31.03.2023 या 31.03.2024 (यदि उपलब्ध हो) की स्थिति के अनुसार बैंक की लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति पर आधारित होंगे. 01 जुलाई 2024 से 31 मार्च 2025 तक पात्रता मानदंड 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार उनकी लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति पर आधारित होंगे. दिनांक 01.07.2024 या उसके पश्चात् की गई मंजूरी और आहरण की अनुमति केवल उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दी जाएगी, जिन्होंने लेखापरीक्षा पूरी कर ली हो और नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रासंगिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट जमा कर दी हो, या अन्यथा कोई विशेष मामला हो.

3.4 बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋण प्रवाह में सुधार लाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का अनुसरण करते हुए नाबार्ड उन पहचाने गए जिलों (सूची संलग्न) में एसटीआरआरबी निधि के कॉर्पस 25% का उपयोग करेगा, जहाँ ऋण प्रवाह तुलनात्मक रूप से कम है. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा संलग्न प्रारूप (अनुबंध III) में दिए गए त्रैमासिक एमआईएस तिमाही समाप्त होने के 7 दिन के भीतर जमा करने पर ज़ोर देने के माध्यम से नाबार्ड द्वारा इन पहचाने गए जिलों में उपयोगिता का अनुप्रवर्तन किया जाएगा. कम उपयोगिता, यदि तीसरी तिमाही के अंत में कोई हो, की स्थिति में इसे अन्य जिलों में पुनः आबंटित किया जा सकता है.

4. पुनर्वित्त की मात्रा

4.1 मंजूरी हेतु पुनर्वित्त की मात्रा वास्तविक ऋण वितरण कार्यक्रम (आरएलपी) के प्रतिशत पर आधारित होगी और नाबार्ड की आंतरिक जोखिम रेटिंग और एसटीआरआरबी के तहत भारत सरकार द्वारा किए गए आबंटन के अनुसार आरएलपी के 15% से 45% के बीच होगी.

4.2 एक वर्ष के लिए वास्तविक ऋण वितरण कार्यक्रम (आरएलपी) को वर्ष के दौरान संवितरण हेतु अनुमानित फसल ऋणों के रूप में (यानि उस बकाया राशि के अलावा जिसमें अतिदेय शामिल हो) परिभाषित किया गया है. वर्ष 2024-25 के लिए आरएलपी की गणना पिछले तीन वर्षों में संवितरित फसल ऋणों में (पिछले चार वर्षों में

संवितरित फसल ऋणों के डेटा को ध्यान में रखते हुए) औसत वृद्धि दर के आधार पर की जा सकती है. तथापि, भू-स्तरीय वास्तविकताओं और अन्य मदों, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड आरएलपी को स्वीकार कर सकता है, जो कि राज्य सहकारी बैंक द्वारा तैयार किए गए आरएलपी से अधिक या कम हो सकता है

5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलयन

विलयित बैंकों के मामले में विशेष लेखापरीक्षा या 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार भूतपूर्व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समग्र लेखापरीक्षा स्थिति पर आधारित अधिसूचना/ विलयन की तिथि के अनुसार नए/ विलयित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति वर्ष 2024-25 के लिए ऐसे नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए सीमा की मंजूरी का आधार बनेगी. इसके अलावा यदि 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षा स्थिति उपलब्ध हो, तो उसे बैंकों के लिए ऋण सीमा की मंजूरी हेतु माना जाएगा.

6. पुनर्वित्त का प्रयोजन

इस सुविधा के तहत पुनर्वित्त का प्रयोजन लघु और सीमांत किसानों के लिए दीर्घावधि ऋणों के संवितरण में वृद्धि लाना होगा.

6.1 किराएदार किसानों (टीएफ़)/ मौखिक पट्टेदारों (ओएल) का वित्तपोषण

भारत सरकार द्वारा किराएदार किसानों और मौखिक पट्टेदारों के वित्तपोषण को दी गई महत्ता को ध्यान में रखते हुए बैंकों द्वारा जेएलजी मोड, या अन्यथा रूप में, टीएफ़/ ओएल के लिए अधिकतम वित्तपोषण सुनिश्चित किया जाना होगा.

6.2 उप-सीमाओं की मंजूरी

नीचे दी गई वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों के लिए एसटी (एसएओ) ऋण सीमाओं के लिए नाबार्ड द्वारा वित्तीय वर्ष के लिए पृथक उप-सीमाएँ मंजूर की जाएँगी. तदनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा ऋण सीमा आवेदन में उपरोक्त प्रयोजनों के लिए पृथक रूप से ऋण सीमा संबंधी आवश्यकताएँ इंगित की जाए.

क. अन्य फसलों (ओसी) की कृषि,

ख. राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पाल्म मिशन (एनएमओओपी - तिलहन) के तहत पहचाने गए जिलों में तिलहन की कृषि,

ग. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - दलहन (एनएफ़एसएम - दलहन) के तहत पहचाने गए जिलों में दलहन की कृषि और

घ. जनजातीय जनसंख्या (डीटीपी) के तहत आदिवासियों की उत्पादकता ऋण आवश्यकताएँ.

7. पुनर्वित्त पर ब्याज दर

जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्वयं की भागीदारी के साथ मिलकर प्रति उधारकर्ता को 7% प्रति वर्ष या उससे कम पर 3.00 लाख रुपए तक का फसल ऋण प्रदान करते हैं, उनके लिए वर्ष 2024-25 के दौरान पुनर्वित्त पर ब्याज दर 4.5% प्रति वर्ष होगा. इस संबंध में बैंक द्वारा अनुबंध-II के अनुसार वचन-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा.

8. परिचालन अनुशासन

8.1 आहरण और चुकौती

सीमा के विरुद्ध आहरित राशि माँग पर चुकौती हेतु देय होगी. तथापि ऋण सीमा पर प्रत्येक आहरण को पृथक ऋण के रूप में माना जाएगा और सामान्यतः आहरण की तिथि से 12 महीने की अवधि के लिए चुकौती हेतु देय होगा.

क. 30 दिन की लॉक-इन अवधि के पश्चात् और 12 महीने की समाप्ति से पहले नाबार्ड द्वारा चुकौती (आंशिक या पूर्ण) 3 दिन की सूचना अवधि के साथ स्वीकार की जाएगी.

8.2 एनओडीसी

क. ऋण सीमाओं पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किए गए आहरणों को सभी उप-सीमाओं के तहत समग्र एनओडीसी (उप-सीमा वार एनओडीसी के स्थान पर) की उपलब्धता के अधीन अनुमति दी जाएगी. इस प्रयोजन के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में मासिक एनओडीसी विवरण जमा किया जाना होगा, जिससे अनुवर्ती माह की 20वीं तारीख तक यह विवरण प्राप्त किया जा सके. यदि समग्र एनओडीसी उपलब्ध हो, तो एनओडीसी में उप-सीमा वार अभाव के लिए कोई दंडात्मक ब्याज प्रभारित नहीं किया जाएगा.

ख. बैंक द्वारा प्रत्येक आहरण के समय समग्र एनओडीसी की उपलब्धता के संबंध में निर्धारित प्रारूप में एक प्रमाणपत्र जमा किया जाना होगा. इसके अलावा बैंक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि किसी भी दिन सामान्य एसटी (एसएओ) और अतिरिक्त एसटी (एसएओ) बकाया का योग उस तिथि को उपलब्ध कुल एनओडीसी से अधिक नहीं होना चाहिए.

ग. बैंक द्वारा वार्षिक लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय वर्ष के अंत में सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित निर्धारित प्रारूप के अनुसार एनओडीसी प्रमाणपत्र (एसएओ तथा एएसएओ) जमा किया जाना होगा.

8.3 एनओडीसी के अभाव पर अतिरिक्त ब्याज

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एनओडीसी में अभाव, यदि कोई हो, को तत्काल रूप से पूरा करना चाहिए, ताकि नाबार्ड से उधार के लिए पर्याप्त गैर-अतिदेय कवर की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके. यदि अभाव होने की तिथि से

एक महीने के भीतर अभाव को नियमित नहीं किया जाता है, तो संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को अभाव की अवधि के लिए एनओडीसी में अभाव पर 1% (प्रयोज्य कर सहित) का दंडात्मक प्रभार देना होगा, जब तक कि स्थिति नियमित नहीं हो जाती.

8.4 बकाया ऋणों में मूलधन और ब्याज का पृथक्करण

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा बकाया राशि से ब्याज घटक को हटाया जाए और केवल मूलधन ऋण राशि को ऋण सीमा हेतु उनके आवेदन और साथ ही आहरण आवेदन में रिपोर्ट किया जाए, जिससे नाबार्ड से पुनर्वित्त सहायता हेतु पात्रता निर्धारित की जा सके. इसके अलावा केवल ऋणों (जारी किए गए, वसूल किए गए, बकाया और अतिदेय) के मूलधन संबंधी भाग को मासिक एनओडीसी विवरणों में रिपोर्ट किया जाना चाहिए.

8.5 चूक की निकासी

जो बैंक नाबार्ड के प्रति निर्धारित देय तिथियों तक मूलधन चुकौती, ब्याज भुगतान और/ या कोई अन्य देयताओं से संबंधित अपनी वचनबद्धताओं को पूरा करने में असफल रहते हैं, वे नाबार्ड से किसी पुनर्वित्त सुविधा के लिए तब तक पात्र **नहीं** होंगे, जब तक संबंधित चूक की निकासी न की जाए. मूलधन की चुकौती और/ या ब्याज के भुगतान में चूक की स्थिति में बैंक नाबार्ड को चूक की अवधि के लिए चूक की राशि पर **10% प्रति वर्ष** की दर पर ब्याज के भुगतान हेतु देय होगा.

8.6 निरीक्षण का अधिकार

नाबार्ड बैंक की खाता बहियों का निरीक्षण करने/ करवाने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

8.7 विशेष लेखापरीक्षा करने का अधिकार

नाबार्ड के पास बैंकों की खाता बहियों और अन्य प्रासंगिक सामग्रियों का विशेष लेखापरीक्षा स्वयं या किसी अन्य एजेंसी द्वारा करने/ कराने का अधिकार होगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुसार उनका रखरखाव किया जा रहा हो और बैंक द्वारा पुनर्वित्त के नियमों और शर्तों का अनुसरण किया जा रहा हो.

8.8 अतिरिक्त आहरण

एनओडीसी के गलत आँकड़ों की रिपोर्टिंग के कारण पुनर्वित्त की स्वीकार्य मात्रा से अधिक निकासी के मामले में नाबार्ड गंभीरता से विचार करेगा तथा बैंक द्वारा लिए गए अतिरिक्त पुनर्वित्त को 3 दिनों के भीतर वापस माँगेगा, साथ ही 1% प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक शुल्क तथा प्रयोज्य कर भी लगाएगा.

9. सीमा का अंतिम-प्रयोग

निधियों के विचलन, ब्याज अनुदान/ फसल ऋण के दुरुपयोग से बचने तथा मंजूर किए गए प्रयोजन के लिए निधियों का उचित अंतिम उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंकों को हमारे दिनांक 20 अगस्त 2015 के परिपत्र सं. 175/ डॉर-47/ 2015 में निहित अनुदेशों का पालन करने के लिए सूचित किया गया है, जिसका अनुपालन किया जाना चाहिए.

10. विवरणियाँ

एसटीआरआरबी निधि के दिशानिर्देशों के अनुसार नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को निर्धारित प्रारूप में सूचना प्रदान की जाए.

क. एसटीआरआरबी के पूर्ण उपयोग के एक पखवाड़े के भीतर बैंक द्वारा अनुबंध-III उपलब्ध कराया जाएगा.

ख. भारतीय रिजर्व बैंक/ भारत सरकार द्वारा माँगे जाने पर बैंक द्वारा अनुबंध-III उपलब्ध कराया जाएगा.

अनुबंध-II/ **Annexure-II**

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा उनके शीर्षपत्र पर प्राप्त किया जाने वाला वचन-पत्र

UNDERTAKING TO BE OBTAINED FROM RRBs ON THEIR LETTERHEAD

मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक/ The Chief General Manager / General Manager
नाबार्ड/ NABARD
____________________क्षेत्रीय कार्यालय/ Regional Office
____

महोदया/ महोदय,

हमें ज्ञात है कि नाबार्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एसटी (एसएओ) के लिए नाबार्ड द्वारा प्रदान किए गए पुनर्वित्त का ब्याज दर 4.5% प्रति वर्ष है, जो कि भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक/ नाबार्ड द्वारा समय-समय पर संशोधन, यदि कोई हो, के अधीन है. हमें यह भी ज्ञात है कि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई ब्याज सहायता की सुविधा भी समय-समय पर संशोधन के अधीन है.

We are aware that the rate of interest on refinance provided by NABARD for ST (SAO) during the F.Y. 2024-25 is 4.5% p.a. subject to change, if any, by Govt. of India / Reserve Bank of India / NABARD from time to time. We are also aware that the facility of interest subvention made available by Government of India, is also subject to change from time to time.

हम वचन देते हैं कि हम भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक/ नाबार्ड द्वारा समय-समय पर किए जाने वाला/ वाले संशोधन, यदि कोई हो, का पालन करेंगे.

We undertake to abide by the change/s, if any, as may be made by the Govt. of India / Reserve Bank of India / NABARD from time to time.

सधन्यवाद/ Thanking you,

भवदीय/ Yours faithfully

____

नाम/ Name: ____________________
पदनाम/ Designation: अध्यक्ष/ Chairman
दिनांक/ Date:____________________

अनुबंध III

ऋण अभावग्रस्त जिलों की ओर नाबार्ड उपयोगिता (संवितरित राशि)

(राशि करोड़ ₹ में)

क्रम. सं.	राज्य	जिला का नाम	एसटीआरआरबी वित्तीय वर्ष 2024-25
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	निकोबार	
2	आंध्र प्रदेश	अल्लुरी सीताराम राजू	
3	अरुणाचल प्रदेश	अंजॉ	
4	अरुणाचल प्रदेश	चुंगलांग	
5	अरुणाचल प्रदेश	कामेंग पूर्व	
6	अरुणाचल प्रदेश	सियांग पूर्व	
7	अरुणाचल प्रदेश	कामले	
8	अरुणाचल प्रदेश	क्रा दादी	
9	अरुणाचल प्रदेश	कुरुंग कुमे	
10	अरुणाचल प्रदेश	लेपाराडा	
11	अरुणाचल प्रदेश	लोहित	
12	अरुणाचल प्रदेश	लॉन्गडिंग	
13	अरुणाचल प्रदेश	लोअर दिबांग वैली	
14	अरुणाचल प्रदेश	लोअर सियांग	
15	अरुणाचल प्रदेश	लोअर सुबनसिरी	
16	अरुणाचल प्रदेश	नामसाई	
17	अरुणाचल प्रदेश	पक्के केस्सांग	
18	अरुणाचल प्रदेश	शी-योमी	
19	अरुणाचल प्रदेश	सियांग	
20	अरुणाचल प्रदेश	तवांग	
21	अरुणाचल प्रदेश	तिराप	
22	अरुणाचल प्रदेश	अपर सियांग	
23	अरुणाचल प्रदेश	अपर सुबनसिरी	
24	अरुणाचल प्रदेश	पश्चिम सियांग	
25	असम	बजाली	
26	असम	बक्सा	
27	असम	चराईदेव	
28	असम	चिरांग	
29	असम	धेमाजी	
30	असम	धुबरी	
31	असम	दिमा हसाओ	

32	असम	गोलपारा	
33	असम	हाइलाकांदी	
34	असम	होजाई	
35	असम	कार्बी आंगलोंग	
36	असम	करीमगंज	
37	असम	कोकराझार	
38	असम	मजुली	
39	असम	मोरीगाँव	
40	असम	नागाँव	
41	असम	दक्षिण सलमारा-मंकचर	
42	असम	उदलगुरी	
43	असम	पश्चिम कार्बी आंगलोंग	
44	बिहार	अरवल	
45	बिहार	बाँका	
46	बिहार	भोजपुर	
47	बिहार	बक्सर	
48	बिहार	गोपालगंज	
49	बिहार	जमुई	
50	बिहार	जहानाबाद	
51	बिहार	कैमूर	
52	बिहार	खगड़िया	
53	बिहार	लखीसराय	
54	बिहार	मधेपुरा	
55	बिहार	मधुबनी	
56	बिहार	मुंगेर	
57	बिहार	नालंदा	
58	बिहार	नवादा	
59	बिहार	पश्चिमी चंपारण	
60	बिहार	सारन	
61	बिहार	शेखपुरा	
62	बिहार	शिवहर	
63	बिहार	सीतामढ़ी	
64	बिहार	सिवान	
65	बिहार	सुपौल	
66	छत्तीसगढ़	बलरामपुर	
67	छत्तीसगढ़	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	
68	छत्तीसगढ़	गरियाबंद	
69	छत्तीसगढ़	गौरेला-पेंड्रा-मरवाही	

70	छत्तीसगढ़	जशपुर	
71	छत्तीसगढ़	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	
72	छत्तीसगढ़	कोंडागाँव	
73	छत्तीसगढ़	कोरिया	
74	छत्तीसगढ़	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	
75	छत्तीसगढ़	मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी	
76	छत्तीसगढ़	नारायणपुर	
77	छत्तीसगढ़	सक्ती	
78	छत्तीसगढ़	सारंगगढ़-बिलईगढ़	
79	छत्तीसगढ़	सुकमा	
80	छत्तीसगढ़	सूरजपुर	
81	छत्तीसगढ़	सरगुजा	
82	गुजरात	डांग	
83	हरियाणा	नूह	
84	झारखंड	चतरा	
85	झारखंड	दुमका	
86	झारखंड	गढ़वा	
87	झारखंड	गोड्डा	
88	झारखंड	गुमला	
89	झारखंड	जामताड़ा	
90	झारखंड	खूँटी	
91	झारखंड	लातेहार	
92	झारखंड	पलामू	
93	झारखंड	साहेबगंज	
94	झारखंड	सिमडेगा	
95	मध्य प्रदेश	अलीराजपुर	
96	मध्य प्रदेश	अनूपपुर	
97	मध्य प्रदेश	भिंड	
98	मध्य प्रदेश	डिंडौरी	
99	मध्य प्रदेश	निवाड़ी	
100	मध्य प्रदेश	पन्ना	
101	मध्य प्रदेश	सीधी	
102	मध्य प्रदेश	टीकमगढ़	
103	मध्य प्रदेश	उमरिया	
104	महाराष्ट्र	गढ़चिरौली	
105	मणिपुर	बिशनपुर	
106	मणिपुर	चंदेल	
107	मणिपुर	चुराचाँदपुर	

108	मणिपुर	इम्फाल पूर्व	
109	मणिपुर	जिरीबाम	
110	मणिपुर	काकचिंग	
111	मणिपुर	कमजोंग	
112	मणिपुर	कांगपोकपी	
113	मणिपुर	नोनी	
114	मणिपुर	फेरजावल	
115	मणिपुर	सेनापति	
116	मणिपुर	तामेंगलॉन्ग	
117	मणिपुर	तेंगनुपल	
118	मणिपुर	थुबल	
119	मणिपुर	उखरुल	
120	मेघालय	पश्चिम गारो हिल	
121	मेघालय	पूर्वी जैंतिया हिल	
122	मेघालय	पूर्वी पश्चिम ख़ासी हिल	
123	मेघालय	उत्तर गारो हिल	
124	मेघालय	दक्षिण गारो हिल	
125	मेघालय	दक्षिम पश्चिम गारो हिल	
126	मेघालय	दक्षिण पश्चिम ख़ासी हिल	
127	मेघालय	पश्चिम गारो हिल	
128	मेघालय	पश्चिम जैंतिया हिल	
129	मेघालय	पश्चिम ख़ासी हिल	
130	मिज़ोरम	चंफई	
131	मिज़ोरम	ह्नाहथियाल	
132	मिज़ोरम	कोलासिब	
133	मिज़ोरम	लॉन्गतलाई	
134	मिज़ोरम	लुंगले	
135	मिज़ोरम	ममित	
136	मिज़ोरम	साइतुयाल	
137	मिज़ोरम	सरछिप	
138	मिज़ोरम	सियाहा	
139	नागालैंड	चुमोकेदिमा	
140	नागालैंड	किफिरे	
141	नागालैंड	लॉन्गलेंग	
142	नागालैंड	मोकोकचुंग	
143	नागालैंड	मोन	
144	नागालैंड	निउलैंड	
145	नागालैंड	नोकलाक	

146	नागालैंड	पेरेन	
147	नागालैंड	फेक	
148	नागालैंड	शमाटर	
149	नागालैंड	सेमिन्यू	
150	नागालैंड	तुएंगसांग	
151	नागालैंड	वोखा	
152	नागालैंड	जून्हेबोटो	
153	दिल्ली एनसीटी	उत्तर-पूर्व दिल्ली	
154	ओडिशा	मलकानगिरी	
155	ओडिशा	नवरंगपुर	
156	राजस्थान	डीग	
157	राजस्थान	गंगापुरसिटी	
158	राजस्थान	जोधपुर रुरल	
159	राजस्थान	सालुमबेर	
160	राजस्थान	संचोड़	
161	सिक्किम	ग्यालशिंग	
162	सिक्किम	सोरेंग	
163	तेलंगाणा	अदिलाबाद	
164	त्रिपुरा	ढलई	
165	त्रिपुरा	गोमती	
166	त्रिपुरा	खोवई	
167	त्रिपुरा	उत्तर त्रिपुरा	
168	त्रिपुरा	सेपाहीजला	
169	उत्तर प्रदेश	अमरोहा	
170	उत्तर प्रदेश	आजमगढ़	
171	उत्तर प्रदेश	बलिया	
172	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर	
173	उत्तर प्रदेश	बांदा	
174	उत्तर प्रदेश	बस्ती	
175	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट	
176	उत्तर प्रदेश	फर्रुखाबाद	
177	उत्तर प्रदेश	गोंडा	
178	उत्तर प्रदेश	जौनपुर	
179	उत्तर प्रदेश	कानपुर देहात	
180	उत्तर प्रदेश	कौशंबी	
181	उत्तर प्रदेश	कुशीनगर	
182	उत्तर प्रदेश	महाराजगंज	
183	उत्तर प्रदेश	मऊ	

184	उत्तर प्रदेश	संत कबीर नगर	
185	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती	
186	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थनगर	
187	उत्तर प्रदेश	सीतापुर	
188	उत्तर प्रदेश	सुल्तानपुर	
189	उत्तर प्रदेश	उन्नाव	
190	उत्तराखंड	बागेश्वर	
191	उत्तराखंड	चमोली	
192	उत्तराखंड	पिथौरागढ़	
193	उत्तराखंड	रुद्रप्रयाग	
194	उत्तराखंड	टिहरी गढ़वाल	
195	पश्चिम बंगाल	झारग्राम	
196	पश्चिम बंगाल	पुरुलिया	

अनुबंध-IV

30 सितंबर/ 31 दिसंबर/ 31 मार्च को समाप्त तिमाही

Quarter ended as on 30 Sept/31 December/31 March

राज्य State	बैंक का नाम Name of the Bank	ऋण की औसत राशि (₹ लाख में) Average amount of loan (Rs. In lakh)	प्रभारित ब्याज दर (%) Interest rate charged (%)	प्रभारित प्रसंस्करण शुल्क (रुपए) Processing fees charged (Rupees)

****